

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 656
24.07.2023 को उत्तर के लिए

सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का उत्सर्जन

656. श्री फिरोज वरूण गांधी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे वायु प्रदूषण होता है, का विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक है;
- (ख) क्या कोयला संयंत्रों में फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन प्रौद्योगिकी संस्थापित की गई है जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा देश में SO₂ उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ग): कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का प्रमुख स्रोत हैं जो वायु प्रदूषण में बढ़ाना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से अन्य प्रदूषकों के अलावा, SO₂ के उत्सर्जन संबंधी मानदंड निर्धारित किए। इस अधिसूचना से पहले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोई भी SO₂ उत्सर्जन मानदंड नहीं थे और SO₂ उत्सर्जन को चिमनी की ऊंचाई तय करके विसर्जन/उत्सर्जन की ऊंचाई निर्धारित करके विनियमित किया जाता था।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अन्य प्रदूषकों के अलावा SO₂ उत्सर्जन के लिए मानदंड निर्धारित किए। फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) तकनीक की स्थापना की अपेक्षा वाले इन उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न तकनीकी-आर्थिक बाधाओं और आगे कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण प्रभावित होने से देरी हुई थी। इन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार ने शुरूआत में दिसंबर, 2022 तक की अधिकतम समयसीमा के साथ एफजीडी के चरणबद्ध कार्यान्वयन का निर्णय लिया और बाद में दिनांक 31.03.2021 और दिनांक 05.09.2022 की अधिसूचनाओं के माध्यम से संयंत्र के स्थान के आधार पर श्रेणी क, ख और ग संयंत्रों के लिए क्रमशः दिसंबर 2024, दिसंबर 2025 और दिसंबर 2026 तक SO₂ मापदण्ड हेतु नए उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है।

भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में स्थापित फ्लू-गैस डिसल्फराईजेशन के लिए आमतौर पर दो स्वीकार्य तकनीकें अर्थात् वेट-स्क्रबिंग (वेट एफजीडी) और ड्राई सोरबेंट इंजेक्शन (डीएसआई) हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लू-गैस के डी-सल्फराईजेशन के लिए 18 इकाइयों ने वेट एफजीडी स्थापित की है और 4 इकाइयों ने डीएसआई तकनीक स्थापित की है। इन 22 इकाइयों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

अनुबंध-1

‘सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का उत्सर्जन’ के संबंध में दिनांक 24.07.2023 को उत्तर देने के लिए श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 656 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित - अनुबंध

वेट एफजीडी/डीएसआई प्रणालीयां स्थापित करने वाली 22 इकाइयों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की संख्या	टीपीपी का नाम और इकाई संख्या	SO ₂ उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक
1.	गुजरात	03	अडानी पॉवर मुंद्रा टीपीएस (इकाई-7, 8, 9)	वेट एफजीडी
2.	हरियाणा	02	महात्मा गाँधी टीपीएस, सीएलपी झज्जर (इकाई-1 और 2)	वेट एफजीडी
3.	मध्य प्रदेश	01	विंध्याचल एसटीपीएस, एनटीपीसी लिमिटेड (इकाई-13)	वेट एफजीडी
4.	महाराष्ट्र	04	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीएस (यूनिट-1, 2, 3, 4)	वेट एफजीडी
		02	अडानी दाहानु टीपीएस (यूनिट-1 और 2)	
		02	टाटा पॉवर ट्राम्बे टीपीएस (इकाई 5 और 8)	
5.	तमिलनाडु	02	आईएल एंड एफसी टीएनपीसीएल (यूनिट-1 और 2)	वेट एफजीडी
6.	उत्तर प्रदेश	06	एनसीटीपीएस दादरी, एनटीपीसी लिमिटेड (यूनिट-1, 2, 3 और 4)	डीएसआई वेट एफजीडी वेट एफजीडी
			एनसीटीपीएस दादरी, एनटीपीसी लिमिटेड (यूनिट-5)	
			ऊंचाहार टीपीएस, एनटीपीसी लिमिटेड (यूनिट-6)	
	कुल	22		
